आज दिनांक 10.08.2017 को अपराह्न 12.30 बजे दिन में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नई दिल्ली के दिशानिर्देश के आलोक में पटना मेडिकल कॉलेज, पटना में गठित Anti Ragging Committee, Anti Ragging Helpline एवं Anti Ragging Squad के सदस्यों के आहुत बैठक में सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः–

1. निर्णय लिया गया कि नवनामांकित प्रथम एम॰बी॰बी॰एस॰ का क्लास प्रातः 9.30 से प्रारम्भ होने के कारण वरीय छात्रों का लेक्चर क्लास प्रातः 09.00 बजे तक निश्चित रूप से समाप्त कर दिया जाय, ताकि वरीय छात्र सीधे वार्ड ड्यूटि में समय पर उपस्थित हो।
2. निर्णय लिया गया कि रैगिंग की घटना रोकने एवं सभी छात्रों को जागरूक करने हेतु पटना मेडिकल कॉलेज, पटना के जुनियर डाक्टर्स एसोसिएशन के सचिव एवं अध्यक्ष को भी प्रोत्साहित किया जाय।
3. निर्णय लिया गया कि नवनामांकित प्रथम एम॰बी॰बी॰एस॰ के प्रत्येक 10 छात्रों पर सत्र 2015 एवं सत्र 2016 के एक–एक छात्रों को मेंटर के रूप में नामांकित किया जाय एवं रैगिंग की घटना रोकने हेतु प्रोत्याहित किया जाय। छात्राओं के लिए मेंटर के रूप में छात्राओं को ही चयनित किया जाय। मेंटर का चयन प्रभारी प्राध्यपक छात्र कोषांग, पटना मेडिकल कॉलेज, पटना द्वारा किया जायगा।
4. निर्णय लिया गया कि सभी छात्रावासों के अधीक्षक, एवं प्रीफेक्ट/सचिव को रैगिंग की घटना को रोकने हेतु हर सम्भव प्रयास करेंगे। यदि किसी छात्रावास में रैगिंग की घटना घटित होती है तो उस छात्रावास के प्रीफेक्ट/सचिव तुरन्त कार्रवाई करेंगे।
5. निर्णय लिया गया कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नई दिल्ली के दिशानिर्देश के आलोक में पटना मेडिकल कॉलेज, पटना के सभी विभाग के विभागाध्यक्ष एवं चिकित्सक शिक्षक रैगिंग की घटना रोकने हेतु तत्पर रहेंगे यदि रैगिंग की कोई भी घटना घटित होते देखते हैं तो सर्वप्रथम Anti Ragging Committee, Anti Ragging Helpline एवं Anti Ragging Squad के सदस्यों या अपने विभागाध्यक्षों को देंगे।
6. निर्णय लिया गया कि पर्याप्त संख्या में एंटी रैगिंग का पोस्ट/बैनर पटना मेडिकल कॉलेज, के मुख्य स्थान यथा एनाटॉमी/फिजियोलॉजी/बायोकेमिस्ट्री विभाग, सभी व्याख्यान कक्ष, पुस्तकालय, कैन्टीन, सभी छात्रावास, मुख्य प्रवेश द्वार आदि स्थानों पर लगाया जाय।
7. निर्णय लिया गया कि मजार एवं शिशु विभाग के आस–पास रैगिंग के घटना की देख–रेख हेतु प्राचार्य कार्यालय के एक–एक कर्मी बारी–बारी से उपस्थित रहेंगे।
8. निर्णय लिया गया कि नवनामांकित छात्रों के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है।
9. निर्णय लिया गया कि अवश्यकता पड़ने पर रैगिंग सम्बन्धी घटनाओं में रोक थाम हेतु एक मोबाईल फोटोग्राफर की व्यवस्था प्राचार्य द्वारा की जा सकती है।
10. निर्णय लिया गया कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नई दिल्ली के दिशानिर्देश के आलोक में आज के बैठक की कार्यवाही की प्रति कॉलेज के वेबसाईट पर डाला जाय।

10/8/17